संख्या-503/2026/1711/22-2-2025-17(492)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिठाई लाल पुत्र श्री कल्लू प्रसाद धानुक, निवासी जनपद-लखनऊ की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-31446/प्रो0(6)/250/(विश्व योग दिवस-25), दिनांक 07.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिठाई लाल पुत्र श्री कल्लू प्रसाद धानुक, जो ग्राम-विशुनू नगर कालोनी, थाना-सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक-29.08.2007 को 2-3 महिने से दिमागी हालत खराब होने के कारण अपनी पत्नी सुनीता, पुत्र मोहित उम्र 07 वर्ष व पुत्री पूजा उम्र 10 वर्ष की गला काट दिया जिससे पत्नी व पुत्र की मृत्यु हो गयी व पुत्री घायल हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं-38/2008 में भा०द०वि० की धारा- 302, 307 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट नं0-2/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 14.04.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-01.05.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 08 माह, 01 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 11 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा अपनी पत्नी, पुत्री व पुत्र की गला काटकर पत्नी व पुत्र की निर्मम हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किये जाने, इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जाने, अत एव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता व जघन्यता के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुये शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मिठाई लाल पुत्र श्री कल्लू प्रसाद धानुक की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मिठाई लाल पुत्र श्री कल्लू प्रसाद धानुक(बंदी संख्या-404/2023) निवासी जनपद-लखनऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-503/2026/1711(1)/22-2-2025 तद्दिनांक..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक,जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दि□नांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।